हिन्दुस्त

सोमवार
26 अगस्त 2024, भाद्रपद कृष्ण पक्ष, अष्टमी, विक्रम संवत् 2081, पटना

आरा संस्करण, वर्ष 39, अंक 234, 14 पेज, मूल्य ₹4.00 • पांच प्रदेश • 24 संस्करण

बिल्डरों पर शिकंजा, 20 लाख तक अर्थदंड लगाएगा रेरा

तय समय पर फ्लैट नहीं सौंपा तो जुर्माना

विशेष

■ रंजीत कुमार सिंह

पटना। बिहार में बिल्डर ने निर्धारित अवधि में फ्लैट नहीं सौंपा तो उसे 20 लाख रुपये तक जुर्माना देना पड़ेगा। बिहार भूसंपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) बिहार ने प्रोजेक्ट में देरी करने वाले बिल्डरों पर आर्थिक दंड लगाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा समय अवधि विस्तार के लिए भी उसे निर्धारित शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा।

आमतौर पर रेरा को अक्सर शिकायत मिलती है कि बिल्डर ने बुकिंग के समय किए गए एग्रीमेंट के अनुसार निर्धारित अवधि के बाद भी फ्लैट नहीं सौंपा है। कई बार चार-पांच साल या उससे अधिक देरी भी होती है। ऐसे में उपभोक्ता ठगा महसूस करते हैं। ऐसे बिल्डरों पर लगाम लगाने के लिए ही रेरा ने जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। ऐसे बिल्डरों पर जुर्माना अतिरिक्त शुल्क के रूप में लगेगा।

एग्रीमेंट में निर्धारित अवधि बीतने के छह माह तक फ्लैट सौंपने पर चार लाख रुपये जुर्माना लगेगा। 6 से 10 माह तक 10 लाख रुपये और एक साल से अधिक की देरी पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा रेरा ने बिल्डरों और प्रोमोटरों पर लगाम लगाने के लिए अन्य कई निर्णय लिए हैं। रेरा अधिनियम की धारा 4(2)(एल)(डी) के तहत प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ऑडिट कराया हुआ खाता छह माह के अंदर जमा कर देना है। बिल्डर इसमें भी अक्सर देरी करते हैं। ऐसे बिल्डरों से रेरा ने कहा है कि प्रोजेक्ट पूरा होने के छह माह के अंदर ऑडिट कराया हुआ खाता जमा कर दें। इसमें देरी पर विलंब शुल्क के रूप में पचास हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

बिहार में 1725 निबंधित प्रोजेक्ट में 600 पूरे हुए

10 लाख रुपये का जुर्माना छह से 10 माह की देरी पर

20 लाख का जुर्माना एक साल से अधिक की देरी पर

रैंकिंग पर भी पड़ेगा असर

रेरा की ओर से हरेक तीन माह में जारी होने वाली रैंकिंग में इन सब मानकों के अनुसार नंबर दिए जाएंगे। रैंकिंग की रिपोर्ट रेरा की वेबसाइट पर डाली जाती है। रेरा ने कहा है कि प्रोजेक्ट में देरी का असर रैंकिंग पर पड़ेगा। इसलिए बिल्डर इसमें सावधानी बरतें।

प्रगति रिपोर्ट में देना होगा जियो टैग फोटो

रेरा के नियमों के अनुसार बिल्डर को हरेक तीसरे माह प्रगति रिपोर्ट देनी होती है। इसके साथ अब जियो टैग फोटो देना होगा। रिपोर्ट के साथ फोटो देने में 15 दिन की देरी पर 10 हजार रुपये विलंब शुल्क लगेगा। 16 से 30 दिनों की देरी पर 30 हजार, 31 से 60 दिनों की देरी पर 75 हजार और 60 से अधिक दिनों की देरी पर दो लाख जुर्माना लगेगा।

देर से आवेदन पर विलंब शुल्क लगेगा

बिल्डर निर्धारित अवधि में विस्तार चाहते हैं तो तीन माह पहले आवेदन करना होगा। यदि तीन माह पहले आवेदन नहीं किया तो विलंब शुल्क देना होगा। निर्धारित अवधि पूरा होने के तीन माह तक विलंब शुल्क दो लाख रुपये, तीन से छह माह के बीच आवेदन करने पर पांच लाख रुपये और छह माह से अधिक देरी होने पर 10 लाख रुपये जुर्माना देना होगा।

अजन्मे के 5251वें जन्मदि

देशभर में कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार सोमवार को मनाया जा बार जन्माष्टमी पर शुभ समय 26-27 अगस्त की मध्यरात्रि सिद्धि योग रहेगा। रांची में रविवार को राधा और कृष्ण के स

आरा: शिक्षक नेता गि वीक्षक परीक्षा केंद्र से

सिपाही भर्ती

आरा, निज प्रतिनिधि। सिपाही भर्ती परीक्षा में रविवार को भोजपुर में अलग-अलग केंद्रों से कदाचार के आरोप में छह परीक्षार्थी पकड़े गये। आरा शहर के एसबी प्लस टू विद्यालय केंद्र से एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया।

उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस की जांच में विद्यालय प्रबंधन के दो कर्मी भी संदेह के घेरे में आ गये। विद्यालय के लिपिक संतोष कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जबकि, उस परीक्षा कक्ष में तैनात वीक्षक (शिक्षक)

■ वीक्षक पर प्र गिरफ्तारी

■ अलग-अल छह परीक्षा

अमित कुमार फरार गिरफ्तारी के लिए है। जिले के पसौर गां बिहार माध्यमिक शि सचिव भी है। वीक्ष स्मार्ट फोन लेकर प का आरोप है। दोनों कर ली है। एएसपी बताया कि इस षड्य शामिल है, जांच चल

डॉक्टर से दरिंदगी में सीबीआई के खुलासे छापे